न्यायालय: - श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैत्ल

दांडिक प्रकरण क :- 63 / 11 संस्थापन दिनांक:-23 / 03 / 11 फाईलिंग नं. 233504000282011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

सुन्दरलाल पिता गिरधारीलाल भदौरिया, उम्र ३४ वर्ष, निवासी आदर्श नगर कॉलोनी, होशंगाबाद थाना होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....<u>आं</u>भेयुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 19.01.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337(6 काउंट में), 304-ए (4 काउंट में) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 27.12.2010 को प्रातः 08:00 बजे एन.एच. 69 पर मुलताई पंखा के बीच ग्राम ससुंद्रा जोड़ पुलिया के पास ग्राम ससुंद्रा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रोड पर टवेरा कार क. एमपी-05-बी.ए.-0379 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उक्त कार को पेड़ से टकराकर उसमें बैठे शैलेंद्र, रिमता, आयुषी, आदित्य, अतुल, वंशिका को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उसमें बैठे बच्चालाल, वर्षा, कलिबेन, नील की ऐसी मृत्यू कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।
- अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी शैलेश दिनांक 27.12.2010 को अपने परिवार एवं रिश्तेदार के साथ टवेरा कार क. एम.पी. –05–बी.ए.–0379 से चम्पारन से वापस होशंगाबाद लौट रहे थे जिसे द्धायवर सुंदरलाल चला रहा था। घटना दिनांक को सुबह 08:00 बजे नागपुर होशंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क. 69 पर बैतूल जिले की सीमा में मुलताई एवं पंखा के बीच ग्राम ससुंद्रा बस जोड़ पुलिया के पास कार झायवर सुंदर ने कार को तेजी व लापरवाहीं से चलाकर रोड किनारे पेड से टकरा दिया जिससे कार में बैठे सभी लोगों को चोटें आयी जिन्हें ईलाज हेत् बैतूल चिकित्सालय बैतूल में भर्ती करवाया। ईलाज के दौरान बच्चालाल, वर्षा, कलिवेन उर्फ कलावती, नील की

मृत्यु हो गयी तथा शैलेंद्र, स्मिता, आयुशी, आदित्य, अतुल, वंशिका को चोटें आयी।

- 3 फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी बोड़खी पर मर्ग क. 81, 82, 83, 84/10 धारा 174 जा.फौ. पंजीबद्ध किया गया। उक्त मर्ग की जांच उपरांत थाना आमला में टवेरा कार क. एमपी—05—बीए—0379 के चालक सुंदर के विरूद्ध असल अपराध क. 4/11 अंतर्गत धारा 279, 337, 304—ए भा.दं. सं. पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण एवं मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतकों का शव पंचनामा बनाया गया। वाहन मालिक अनुराग से टवेरा कार क. एमपी—05—बीए—0379 को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.12.2010 को प्रातः 08:00 बजे एन.एच. 69 पर मुलताई पंखा के बीच ग्राम ससुंद्रा जोड़ पुलिया के पास ग्राम ससुंद्रा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रोड पर टवेरा कार क. एमपी—05—बी.ए.—0379 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित पेड़ से टकराकर उसमें बैठे शैलेंद्र, स्मिता, आयुषी, आदित्य, अतुल, वंशिका को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उसमें बैठे बच्चनलाल, वर्षा, कलिबेन, नील की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 शैलेष गुजराती (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त सुंदरलाल टवेरा वाहन को चला रहा था तथा वह अपने परिवार के साथ टवेरा वाहन से रायपुर से होशंगाबाद की ओर जा रहे थे। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि टवेरा वाहन पेड़ से टकरा गया था जिससे बच्चालाल, कलीबेन, नील एवं वर्षा की मृत्यु हो गयी थी तथा उसे उसकी पत्नी स्मिता, अतुल एवं आयुषी को चोटें आयी थी। आयुषी (अ.सा.—2), आदित्य (अ.सा.—3), स्मिता गुजराती (अ.सा.—4) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि टवेरा वाहन पेड़ से टकरा गया था जिससे बच्चालाल, कलीबेन, नील एवं वर्षा की मृत्यु हो गयी थी तथा उन लोगों को चोट आयी थी।

डॉ. राहुल श्रीवास्तव (अ.सा.–11) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में दिनांक 27.12.2010 को जिला चिकित्सालय बैतुल में मेडिकल आफीसर के पद आकस्मिक ड्यूटी पर पदस्थ रहते हुए आहत शैलेंद्र, स्मिता, आयुषी, आदित्य, अतुल, वंशिका को चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना तथा आहत शैलेष के परीक्षण के दौरान आहत के कपाल पर दाहिनी ओर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 4 गुणा 2 गुणा 2 सेमी., कमर के नीचले हिस्से में स्जन एवं दर्द, दोनों हाथ एवं मुजा पर पूरे आकार के घसड़े तथा आहत के खडा होने में असमर्थ होना पाया था। आहत स्मिता के परीक्षण के दौरान उसके चेहरे पर कई फटे घाव, दाहिनी ओर से बांयी ओर तक ठूड़डी कपाल का अगला हिस्सा को लेकर तथा एक बड़ा फटा घाव आकार 6 गुणा 2 गुणा 2 सेमी. आकार का पाया था। **आहत आयुषी** के परीक्षण के दौरान उसकी दाहिनी कोहनी पर एक फटा हुआ घाव तथा सूजन, दाहिनी ओर आंख के नीचे सुजन एवं कमर में दर्द तथा आहत के खड़े होने में असमर्थ होना पाया था तथा आहत आदित्य के परीक्षण के दौरान उसकी छाती पर दाहिनी ओर सूजन तथा दर्द, दाहिने पंजे पर एक फटा हुआ घाव आकार डेढ़ गूणा एक सेमी का एवं दाहिने कंधे पर सूजन तथा दर्द पाया था। आहत अतुल के परीक्षण के दौरान उसकी पीठ में स्जन एवं दर्द पाया था तथा आहत वंशिका के परीक्षण के दौरान उसके कपाल पर पीछले हिस्से में एक फटा हुआ घाव जिसका आकर 2 गुणा 1 सेमी. का एवं सर में मूंदी चोट पायी थी। उपर्युक्त साक्षी ने उसके द्वारा आहतगण की तैयार की गयीं एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 लगायत प्रदर्श पी-20 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.–15) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने दिनांक 27.12.2010 को जिला चिकित्सालय बैतुल में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतक बच्चालाल, कलीबेन, वर्षा एवं नील के शव का परीक्षण किया था। जिसमें उसने मृतक बच्चालाल के शव के परीक्षण के दौरान मृतक का शरीर ठंडा, मूंह और आंख बंद होना तथा दोनों नाक और बांये कान से खून आना पाया था तथा मृतक के पूरे शरीर में अकड़न तथा सिर के बांये टेम्पोरल भाग में 3 गुणा 1 इंच की खरोज पायी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने मृतक कलीबेन के शव परीक्षण के दौरान बाहरी परीक्षण में उसने मृतक का शरीर ठंडा, मूंह और आंख बंद, पूरे शरीर में अकड़न तथा बाहरी जननांग सामान्य पाये थ तथा मृतक के शरीर पर नील निशान डेढ गूणा आधा इंच दांयी आंख के इंफ्राआरबीटल मार्जिन पर तथा छाती के बांयी तरफ पीठ और नीचले भाग पर पाया था। साक्षी के अनुसार मृतक के आंतरिक परीक्षण में बांये तरफ की चौथी, पांचवी, छटवी पसली टूटी हुई और बांये फेफड़े में घुस हुई थी एवं सभी आंतरिक अंग पेल और तिल्ली फटी तथा बांये तरफ की लंग क्योटी तथा पेरेटोरियल क्योटी में ब्लड था। उपर्युक्त साक्षी ने मृतक कलीवेन की मृत्यू का कारण तिल्ली और बांये फेफड़े के फटने परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्त स्त्राव होना अपने परीक्षण में बताया है।

साक्षी डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.–15) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने मृतक वर्षा के शव परीक्षण के दौरान उसका शरीर शरीर ठंडा, मुंह और आंख बंद तथा पूरे शरीर में अकड़न तथा बाहरी जननांग सामान्य पाये थे एवं मृतक के शरीर पर दांये हाइपोकांड्रीयल भाग में नील निशान पाया था तथा मृतक के आंतरिक परीक्षण के दौरान सभी अंग पेल और लीवर फट पाया था तथा पेरीटोनियल क्योटी में रक्त भरा हुआ था। साक्षी ने मृतक वर्षा की मृत्यू का कारण लीवर फटने से अत्यधिक रक्त स्त्राव होना बताया है। उपुर्यक्त साक्षी ने मृतक नील के शव परीक्षण के दौरान उसका शरीर ठंडा, मुंह और आंख बंद थे एवं पूरे शरीर में अकड़न तथा बाहरी जननांग सामान्य पार्ये थे एवं माथे पर दांयी तरफ 2 गुणा 3/4 इंच आकार का एवं पीठ पर बांयी तरफ थोरेसिक भाग में नील निशान पाया था तथा मृतक के आंतरिक परीक्षण के दौरान चौथी, पांचवी, छटवी सातवी और आठवी बांयी तरफ की पसली टूटी हुई थी और फेफड़े में घुस गयी थी। लंग क्योटी में ब्लड भरा हुआ था। आंतरिक परीक्षण में सभी अंग फेल पाये थे। साक्षी ने मृतक बच्चालाल, कलीवेन, वर्षा एवं नील को आयी सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की होना प्रकट करते हुए मृतक बच्चालाल की शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री–26), कलीबेन की शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री–27), वर्षा की शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-28) एवं नील की शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-29) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

- 11 बसंत मिरासे (अ.सा.—13) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 29.12.2010 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतक बच्चालाल, अतुल, कलीवेन, नील की मृत्यु की मर्ग इंटीमेशन असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर मर्गइंटीमेशन प्रदर्श पी—21 एवं प्रदर्श पी—22 लेख किया था।
- 12 लोकेश कुमार (अ.सा.—7), प्रवीण (अ.सा.—8) एवं प्रतीक (अ.सा.—9) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उनके समक्ष दुर्घटना नहीं हुई थी। उपर्युक्त साक्षीगण ने शव पंचनामा प्रदर्श पी—5 लगायत प्रदर्श पी—8 अपने समक्ष तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उन पर तथा नोटिश प्रदर्श पी—9 लगायत प्रदर्श पी—12 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 13 साक्षी शैलेष गुजराती (अ.सा.—1), आयुषी (अ.सा.—2), आदित्य (अ. सा.—3), स्मिता गुजराती (अ.सा.—4) घटना के समय टवेरा वाहन में सवार थे तथा उपर्युक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में बच्चालाल, कलीबेन, नील एवं वर्षा की मृत्यु हो जाने की पुष्टि की है। उपर्युक्त साक्षीगण तथा साक्षी बसंत मिरासे (अ. सा.—13), लोकेश (अ.सा.—7), प्रवीण (अ.सा.—8), प्रतीक (अ.सा.—9) तथा चिकित्सक साक्षी डॉ. राहुल श्रीवास्तव (अ.सा.—11) एवं डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.—15) के कथनों से मृतक बच्चालाल, कलीबेन, नील एवं वर्षा की मृत्यु होना एवं आहत शैलेष, आयुषी, आदित्य, स्मिता को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।
- 14 शिवराम यादव (अ.सा.—14) का कहना है कि उसने दिनांक 05.01. 2011 को पुलिस थाना आमला की चौकी बोड़खी में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए मर्ग क. 91/10, 82/10, 83/10, 84/10 की जांच उपरांत उसने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 01/11 में (प्रदर्श प्री—23) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था एवं दिनांक 06.01.2011 को घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—24) एवं उक्त दिनांक को ही टवेरा कार क. एमपी—04—बीए—0379 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर (प्रदर्श प्री—13) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—25) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।
- 15 पंजाबराव (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 27. 12.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रदर्श पी—4 की तेहरिर पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय बैतूल को दिया जाना प्रकट किया है।
- 16 शैलेष गुजराती (अ.सा.—1), आयुषी (अ.सा.—2), आदित्य (अ.सा.—3) रिमता (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वे घटना

दिनांक को टवेरा वाहन से पूरे परिवार के साथ चम्पारन रायपुर से होशंगाबाद की ओर जा रहे थे। वाहन अभियुक्त सुंदरलाल चला रहा था। उपर्युक्त साक्षीगण के उक्त कथनों को बचाव पक्ष के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को टवेरा वाहन अभियुक्त सुंदरलाल के द्वारा ही चलाया जा रहा था।

- 17 शैलेष गुजराती (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त सुंदरलाल टवेरा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था जिससे टवेरा वाहन पेड़ से टकरा गयी थी। आयुषी (अ.सा.—2) एवं आदित्य (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त सुंदरलाल की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। अभियुक्त ने टवेरा गाड़ी को तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया था। स्मिता गुजराती (अ.सा.—4) ने यह प्रकट किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। उक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने वाहन तेज गति और लापरवाही से चलाकर पेड़ से टकरा दिया था परंतु इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्त वाहन को सावधानीपूर्वक चलाता तो दुर्घटना नहीं होती।
- 18 मुन्ना (अ.सा.—5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त सुंदरलाल को नहीं जानता है। घटना के दिन सुबह—सुबह वह बेरियर से जा रहा था तभी लाल कलर की फोर व्हीलर को क्षतिग्रस्त हालत में देखा था तथा उसने घायलों को जिला चिकित्सालय बैतूल भिजवाया था। उक्त साक्षी ने अपने समक्ष दुर्घटना घटित होने से इनकार किया है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु स्वतः में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि दुर्घटना बहुत भीषण हुई थी और दो लोग जो पति—पत्नी थे वो मौके पर ही मर गये थे। इस प्रकार यद्यपि उक्त साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है परंतु यह उल्लेखनीय है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के द्वारा जो कि अभियोजन कथा अनुसार चक्षुदर्शी साक्षी है, के द्वारा समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है।
- 19 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा शेष सभी साक्षी आहत होकर एक ही परिवार के हैं तथा साक्षीगण ने घटना के समय वाहन में सो रहे थे ऐसा प्रकट किया है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के उपेक्षा या लापरवाहीपूर्वक कृत्य को

प्रमाणित करने में असफल रहा है। जबिक अभियोजन अधिकारी ने युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

20 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि अभिलेख पर मात्र आहतगण के कथन उपलब्ध हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत सर्वोत्तम साक्षी होता है तथा इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः प्रकरण में आहतगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त द्वारा टवेरा वाहन का उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जाना प्रमाणित होता है या नहीं ?

शैलेष गुजराती (अ.सा.–1), आयुषी (अ.सा.–2), आदित्य (अ.सा.–3) 21 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा टवेरा वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाना प्रकट किया है। शैलेष गुजराती (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह ध ाटना के समय सो रहा था इसलिए उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी। पैरा क. 03 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जब तक वह जाग रहा था तब तक अभियुक्त गाड़ी को अच्छे से चला रहा था। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे घटना के कुछ दिन बाद ऐसी जानकारी लगी थी कि सामने से द्रक आ रहा था जिसने टवेरा गाडी को टक्कर मार दी थी जिससे गाडी पेड से टकरा गयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि द्क के टक्कर मारने से वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया था यदि द्रक टक्कर नहीं मारता तो दुर्घटना नहीं होती तो साक्षी ने उत्तर में यह बताया है कि वह सोया हुआ था इसलिए उक्त बात नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण के पैरा कृ. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि उसे उसके बच्चों ने यह बताया था कि सामने से द्रक आ रहा था जिसने टवेरा गाड़ी को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने पैरा क. 02 में यह भी बताया है कि घटना ठण्ड के समय की थी और उस समय कोहरा भी था।

22 आयुषी (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह सही होना बताया है कि वह घटना के समय सो रही थी इसलिए नहीं बता सकती कि दुध् दिना कैसे हुई थी। आदित्य (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह ध ।टना के समय वाहन में आगे वाली सीट में बैठा हुआ था तथा वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि घटना के समय सामने से द्रक आया था और कट मारा था जिससे टवेरा गाडी अनियंत्रित होकर पलट गयी थी। अधिवक्ता द्वारा सामने से द्रक आने के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि सुबह का समय था और धुंध भी थी परंतु इसी पैरा में इस सुझाव को गलत बताया है कि बहुत ज्यादा कोहरा था जिसके कारण कुछ दिखायी नहीं दे रहा था और इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वाहन 20 से 25 की स्पीड से चल रहा था।

- 23 स्मिता गुजराती (अ.सा.—4) ने यद्यपि अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्त वाहन को सावधानीपूर्वक चलाता तो दुर्घटना नहीं होती। प्रति परीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना के समय नींद में थी इसलिए वह यह नहीं बता सकती कि अभियुक्त वाहन को सावधानीपूर्वक चला रहा था या तेज गित से चला रहा था। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने घटना के कुछ दिन बाद लोगों से यह सुना था कि बैतूल तरफ से एक द्रक आ रहा था जिसने उनकी टवेरा गाड़ी को टक्कर मारी थी जिससे दुर्घटना हुई थी।
- 24 इस प्रकार शैलेष गुजराती (अ.सा.—1) आयुषी (अ.सा.—2), आदित्य (अ.सा.—3) एवं रिमता गुजराती (अ.सा.—4) के कथनों में घटना के समय सामने से द्रक का आना एवं द्रक की टक्कर लगने से टवेरा वाहन का अनियंत्रित होना बताया है परंतु साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि वे घटना के समय वे सो रहे थे इसलिए निश्चायक रूप से नहीं बता सकते कि घटना के समय सामने से द्रक आया था अथवा नहीं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में यह भी प्रकट किया है कि घटना के समय कोहरा था।
- 25 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में एक आहत साक्षी अतुल को अभियोजन द्वारा परिक्षित नहीं कराया गया है। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है कि आहत अतुल को टवेरा वाहन के पेड़ से टकरा जाने के कारण उपहित कारित हुई थी। तब ऐसी स्थिति में जबिक अभिलेख पर अन्य आहत साक्षियों को परिक्षित कराया जा चुका है तब मात्र एक आहत साक्षी को परिक्षित न कराये जाने से अभियोजन के विरूद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत साधु सारनसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य 2016 सी.आर.आई.एल.जे. 1908 (एस.सी.) अवलोकनीय है।
- 26 बचाव अधिवक्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह भी रहा है कि दुर्घटना सामने से द्रक के द्वारा टवेरा वाहन में टक्कर मारने के कारण हुई है तथा किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। उपर्युक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में

अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि फरियादीगण के द्वारा अपने टवेरा वाहन में घटना दिनांक को किसी द्रक चालक के विरुद्ध वाहन को टक्कर मारने के संबंध में कोई शिकायत की गयी हो तथा जहां तक अभियुक्त द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में सभी आहतगण ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में कथन प्रकट किये हैं। यद्यपि आहत/साक्षीगण शैलेश गुजराती (अ.सा.—1), आयुषी (अ.सा.—2) एवं रिमता गुजराती (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वे घटना के समय वाहन में सो रहे थे परंतु साक्षी आदित्य (अ.सा.—3) अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य पर अखंडित रहा है कि अभियुक्त सुंदरलाल ने वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया था। तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि वाहन चालक यदि अपने वाहन में नियंत्रण न रख पाये तो यह उसकी उपेक्षा को दर्शित करता है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि घटना के समय सामने से द्रक आ रहा था तो भी वाहन चालक को अपने वाहन की गित इतनी रखनी चाहिए थी कि वह उस पर नियंत्रण रख सके।

वाहन का पेड़ से टकराना और वाहन में बैठे चार व्यक्तियों की मृत्यु कारित होना जिनमें से तीन की मौके पर ही मृत्यु हो जाना, छः व्यक्तियों को उपहित कारित होना यह दर्शित करता है कि वाहन की गित इतनी अधिक थी कि वाहन चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस प्रकार वाहन चालक का उक्त कृत्य उसके उपेक्षापूर्वक वाहन को चलाया जाना दर्शित करता है। इसके अतिरिक्त आहत/साक्षीगण शैलेश गुजराती (अ.सा.—1), आयुषी (अ.सा.—2) एवं स्मिता गुजराती (अ.सा.—4), आदित्य (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन कथन में यह भी प्रकट किया है कि घटना दिसम्बर माह की सुबह 7—8 बजे की है तथा उस समय कोहरा भी था। तब ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वाहन चालक अपने वाहन की गित पर उचित नियंत्रण रखते हुए वाहन को चलाये।

28 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में जहां यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को टवेरा वाहन क. एमपी—05—बी.ए.—0379 चला रहा था तथा वाहन को उसने पेड़ से टकरा दिया था जिससे वाहन में बैठे चार लोग बच्चालाल, कलीबेन, वर्षा एवं नील की मृत्यु एवं उसमें बैठे छहः अन्य लोग शैलेंद्र, स्मिता, आयुषी, आदित्य, अतुल, वंशिका को उपहित कारित हुई थी। ऐसी स्थिति में सिवाय इसके कि अभियुक्त उपेक्षा एवं अत्यन्त तेज रफ्तार से वाहन को चलाकर पेड़ से टकरा दिया था जिसके फलस्वरूप मृतकगण में से बच्चालाल, वर्षा, कलीबेन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी, अन्य कुछ भी उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत Mohammad Aynaddin Vs. State of A.P. 2001(1) MPWN 66(SC) अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

29 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर टवेरा कार क. एमपी—05—बी.ए.—0379 को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर उक्त वाहन को पेड़ से टकराकर उसमें बैठे शैलेंद्र, स्मिता, आयुशी, आदित्य, अतुल, वंशिका को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा उसमें बैठे बच्चनलाल, वर्षा, किलबेन, नील की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त सुंदरलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337(6 काउंट में), 304—ए (4 काउंट में) के आरोप में दोषी पाया जाता है।

30 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

<u>नोटः—</u> दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

> (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- उ1 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरूद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप छहः लोगों को साधारण स्वरूप की उपहति एवं चार लोगों की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 32 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा टावेरा वाहन को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित उक्त वाहन को पेड़ से टकराकर उसमें बैठे शैलेंद्र, स्मिता, आयुषी, आदित्य, अतुल, वंशिका को स्वेच्छया उपहति कारित की जाना तथा बच्चनलाल, वर्षा, कलिबेन, नील की ऐसी मृत्यु कारित की

जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती, का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

33 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337(6 काउंट में), 304-ए (4 काउंट में) भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। धारा 279 भा. दं.सं. का अपराध धारा 71 भा.दं.सं. के प्रावधानों के अर्थों में धारा 337 एवं धारा 304-ए के अपराध में समाहित है। अतः अभियुक्त को धारा 279 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडादिष्ट न करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए(4 काउंट में) दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500 रु. जुर्माना (कुल 4 काउंट हेतु 2000 रु.), धारा 337(6 काउंट में) 6-6 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

34 मुख्य कारावास की उपर्युक्त सभी सजाऐं साथ—साथ भुगतायी जावे।

35 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

36 प्रकरण में जप्तशुदा टवेरा कार क. एमपी—05—बीए—0379 विष्णु प्रसाद पिता गिरधारी लाल निवासी रामनगर रसुलिया होशंगाबाद को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

37 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशूल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)